

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 14.07.2021

### शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

#### 01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नन्दलाल पुत्र स्व0 मदन नि0 ग्राम संगेला जोत बनकटी सूर्यबली सिंह थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 173/21, 02. शेषनरायन उर्फ गोली पुत्र हंसराज नि0 ग्राम कुन्देरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 174/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुरेश कुमार पुत्र हजारी लाल नि0 अड़बड़वा थाना कौडिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 119/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामगोपाल लोधी पुत्र दुःखहरन नि0 तिवारीपुरवा मौजा वीरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 227/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर नि0 इमलिया गुरुदयाल थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0- 534/21, 02. अनिल पुत्र बाबूराम सोनकर नि0 रानीपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 536/21, धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अरुण कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 नेपाल सिंह नि0 अकौनी पूरे थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 158/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 06. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लक्ष्मण सोनकर पुत्र राम शब्द, 02. गजन पुत्र कर्ण नि0 बनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0- 232/21, धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 14.07.2021**

**थाना इटियाथोक ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-  
संक्षिप्त विवरण-**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त खुर्शेद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. खुर्शेद पुत्र हदीस नि0 मधईपुर मौजा बैजपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 220/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तारकर्ता-**

01. मु0आ0 सुरेश चन्द्र मिश्रा मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 14.07.2021**

**अवैध मादक पदार्थ (50 ग्राम हेरोईन) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। जिसके क्रम में थाना छपिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

आज दिनांक 14.07.2021 को थाना छपिया पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि बभनजोतिया हाल्ट के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई देने पर रोकटोक कर उसे चेक किया गया। तो उसके कब्जे से 50 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय वर्मा उर्फ ऋषभ बताया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. संजय वर्मा उर्फ ऋषभ पुत्र धर्मेन्द्र कुमार वर्मा नि0 बहिराडीहा पश्चिम पुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 203/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 50 ग्राम अवैध हेरोइना।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार मय टीम।

